राजस्थान सरकार

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

राजस्थान स्टेट हैल्थ सोसायटी, स्वास्थ्य भवन, जयपुर

फोन नं.141–2221590, 2220962, 2225827

क्रमांकः– एफ.1(672)/एनआरएचएम/लेखा/2015–16/पार्ट–1/1177 दिनांकः– 07/3/18

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
एवं सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, समस्त ।

विषय : वित्तीय वर्ष 2017–18 के समवर्ती अंकेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने एवं आगामी वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु जिला स्वास्थ्य समिति के समवर्ती अंकेक्षक की नियुक्ति किये जाने बाबत।
संदर्भ– इस कार्यालय का पूर्व पत्रांक एफ.1(672)/एनआरएचएम/लेखा/2015–16/पार्ट–1/13768 दिनांक 29.08.17

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ मे लेख है कि संदर्भित पत्रांक के द्वारा जिला स्वास्थ्य समितियों को प्रत्येक त्रैमासिकी की समाप्ति से दिनांक 10 तक त्रैमासिकी समवर्ती अंकेक्षण प्रतिवेदन मय वित्तीय विवरण एवं प्रलेख मिशन निदेशालय, जयपुर प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। जैसा कि वित्तीय वर्ष 2017–18 की तृतीय त्रैमासिकी समाप्त हो चुकी है। केवल चार जिला स्वास्थ्य समिति यथा बीकानेर, जयपुर द्वितीय, सिरोही एवं चुरू द्वारा तृतीय त्रैमासिकी तक का समवर्ती अंकेक्षण प्रतिवेदन मिशन निदेशालय जयपुर प्रस्तुत किया गया है।

12 जिला स्वास्थ्य समितियो यथा श्रीगंगानगर, बांसवाडा, जयपुर प्रथम, भीलवाडा, जोधपुर, अलवर, चित्तौडगढ, जालौर, नागौर, राजसमंद, दौसा एवं हनुमानगढ द्वारा प्रथम /द्वितीय त्रैमासिकी तक के समवर्ती अंकेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किये है। शेष 18 जिला समितियों द्वारा किसी भी त्रैमासिकी से सम्बन्धित समवर्ती अंकेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत नही किये गये है। अतः सम्बन्धित जिला स्वास्थ्य समितियों द्वारा तृतीय त्रैमासिकी तक के समवर्ती अंकेक्षण प्रतिवेदन अविलम्ब मिशन निदेशालय जयपुर को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करे।

वहीं वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु जिला स्वास्थ्य समिति, जिला प्रोग्राम ईकाइयों एवं खण्डों के समवर्ती अंकेक्षण किये जाने बाबत् वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु प्रथम बार नियुक्त समवर्ती अंकेक्षक का कार्य संतोषजनक पाये जाने पर समवर्ती अंकेक्षक की पुनः नियुक्ति की कार्यवाही दिनांक 15.04.2018 तक पूर्ण करने तथा समवर्ती अंकेक्षक की नवीन नियुक्ति के सम्बन्ध में राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधानो के अनुसार करते हुए इस हेतु गठित कमेटी की अनुशंषा के साथ लिखित सूचना अधोहस्ताक्षरकर्ता को दिनांक 18.04.2018 तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।

उक्त कार्य को उच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

निदेशक–(वित्त)
एनएचएम

sam_raj.nrhm@yahoo.co.in

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्रवाई हेतु :-

1. निजी सचिव, मिशन निदेशक, एन.एच.एम., जयपुर।
2. निजी सहायक, निदेशक (वित्त), एनएचएम।
3. लेखाधिकारी/जिला लेखा प्रबन्धक-संविदा जिला स्वास्थ्य समिति समस्त।
4. कम्प्यूटर रूम प्रभारी ई-मैल हेतु
5. रक्षित पत्रावली

उप निदेशक-(वित्त)
एनएचएम

sam_raj.nrhm@yahoo.co.in